न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(आनन्दी लाल वैष्णव,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 10/2019
प्रविष्टि दिनांक 11.03.2019

मोरपाल पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नगरफोर्ट जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट दिनांक 22.02.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 18.10.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 22.02.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 0.45 है0,ख0नं0 2 रकबा 0.59 है0,ख0नं0 19 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम चारनेट पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। पटवारी हल्का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

838

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण या कब्जा नही किया है बल्कि गत 35–40 साल से लगातार शांतिपूर्वक तथा सद्भावना पूर्वक कब्जा चला आ रहा है,जिसको पूर्व मे कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नही किया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलांट को सुनवाई का तथा पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की धारणा कर अपनी मनमरजी से बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के निर्णय पारित किया है।नायब तहसीलदार नगरफोर्ट की मौका रिपोर्ट से भी जाहिर है कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 0.45 है0,किस्म गै0मु0 रास्ता,ख0नं0 2 रकबा 0.59 है0 किस्म गै0मु0 चरागाह व ख0नं0 19 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम चारनेट तहसील देवली पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे मिसल संख्या 760 अपने निर्णय दिनांक 30.11.2018 से अपीलांट को बेदखल किया गया है। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के पत्र कमांक 79 दिनांक 04.09.2019 से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है,परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलांट को जारी नोटिस कि पुश्त पर भाई से तामिल होना अंकित है। आदेशिका दिनांक 18.02.2019 पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है जिससे अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल करने एंव काश्त की गयी फसल को जब्त सरकार कर नीलाम करने का आदेश पारित किया गया है। आदेश दिनांक 18.02.2019 की पालना मे पटवारी,गिरदावर द्वारा की गई फर्द बेदखली कार्यवाही पर हस्ताक्षर अतिक्रमी वाले स्थान पर केसरा का अंगूठा निशान है जबकि अतिक्रमी मोरपाल है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए नायब तहसीलदार नगरफोर्ट का निर्णय दिनांक 22.02.2019 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

839

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner